

मु० न०:- 42/2023

तारीखरजू:- 10/4/23

उनवान:- गिराज बनाम विशम्भर
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
10/4/23	वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.05.2023 को पेश हो। (गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
5/5/23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
9/6/23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
21/2/23	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न०। वगा० 5 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रई प० साहब मिला मे पेशे हैं। वास्ते अग्रिम क्रॉडेर दिनांक 31.8.23 को पेश हो।
31/8/23	पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष वकील उप०, प्रतिवादी न०। वाड की ओर से जबाब पेश करने वास्ते पत्रावली दिनांक 12.10.23 को पेश हो।
12/10/23	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठराय अधिकारी... गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

1388-92
10/4/23



(5)

उजड

क्र	फर्द अहकाम	
3 26	<p>बादी वकील/सकील समय पदा उभय पक्षीय अतिरिक्त शक्ति/सकील को वादी/सकील पक्षीय पक्षीय पक्षानुसार दिनांक 24/11/25 को पेश हो।</p>	
4 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रजमन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश हो।</p>	
22 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षीय कारण उपस्थित / वादी का कार्यवाही दिनांक 25/6/25 को पेश हो।</p>	
25 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी उप वादी वकील कोही उपस्थित नहीं। वार का कार्यवाही दिनांक रही। इसके उपरान्त भी कोही उपस्थित नहीं हुआ हुआ कि वकील का श्रावण वाकल स्वाही किसे चारा वादी उप वादी वकील की कार्य पेश की। कार्यवाही के कारण की जा रही है। पत्रावली पेश करने के दिए गए नकार के कारण कार्यवाही दिनांक हो।</p>	